



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052025-263399
CG-DL-E-27052025-263399

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2295]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 26, 2025/ज्येष्ठ 5, 1947

No. 2295]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 26, 2025/JYAISTHA 5, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2025

सं. 14/2025-2026

विषय: आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 83 के अंतर्गत शामिल कैबिनेट कब्जा की आयात नीतिगत शर्त में संशोधन के संबंध में।

का. आ. 2349(अ).—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 83 के विशिष्ट एचएस कोड के अंतर्गत शामिल वस्तुओं की नीतिगत शर्तों को निम्नानुसार संशोधित करती है:

आइटीसी(एचएस) कोड	विवरण	मौजूदा आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
83021010	— कब्जे — स्टील का	मुक्त	—	तथापि, 280 रुपए प्रति किलोग्राम से कम सीआइएफ मूल्य वाले कैबिनेट कब्जों का आयात 'प्रतिबंधित' है।
83021090	— कब्जे — अन्य	मुक्त	—	
83024200	— अन्य माउंटिंग, फिटिंग और इसी तरह की वस्तुएं:— अन्य, फर्नीचर के लिए उपयुक्त	मुक्त	—	
83024900	— अन्य माउंटिंग, फिटिंग और इसी तरह की वस्तुएं: — अन्य	मुक्त	—	

अधिसूचना का प्रभाव:

आइटीसी (एचएस) कोड 83021010, 83021090, 83024200 और 83024900 के तहत कैबिनेट कब्जों का आयात, जिनका सीआइएफ मूल्य 280 रुपये प्रति किलोग्राम से कम है, 'प्रतिबंधित' है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/87/एम-24/पीसी-2[ए]/ई-42040]

अजय भादू, महानिदेशक विदेश व्यापार और अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, 26th May 2025

No. 14 /2025-26

Subject: Amendment in Import Policy Condition of Cabinet Hinges covered under Chapter 83 of ITC (HS), 2022, Schedule –I (Import Policy)-regarding.

S.O. 2349(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Policy Condition of items covered under specific HS codes of Chapter 83 of ITC (HS), 2022, Schedule – I (Import Policy), as under:

ITC(HS) Code	Description	Import Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
83021010	- Hinges--- Of steel	Free	-	However, import of Cabinet Hinges having a CIF value of less than ₹280 per kilogram is 'Restricted'.
83021090	- Hinges--- Other	Free	-	
83024200	- Other mountings, fittings and similar articles : -- Other, suitable for furniture	Free	-	
83024900	- Other mountings, fittings and similar articles : -- Other	Free	-	

Effect of the Notification:

Import of Cabinet Hinges under ITC (HS) Codes 83021010, 83021090, 83024200 and 83024900, having a CIF value of less than ₹280 per kilogram, is 'Restricted'.

This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/87/AM-24/PC-2(A)/E-42040]

AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade & Addl. Secy.